



बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग



दिनांक 27 अगस्त 2011 (शनिवार) को राज्य के सभी प्रखंडों में वर्ष 2011 - 12 के स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों को इंदिरा आवास योजना के विशेष अभियान के तहत सहायता अनुदान का भुगतान बैंक पासबुक के माध्यम से माननीय जन प्रतिनिधिगण एवं वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा।

सभी स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों से निवेदन है कि वे अपने प्रखंड में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर अपना राशि प्रविष्ट किया हुआ पासबुक प्राप्त करें।

लाभार्थीगण कृपया निम्न बातों पर ध्यान दें-

- इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों का बचत खाती प्रतीक्षा सूची के आधार पर आवेदी क्रम में किया जाता है।
- इंदिरा आवास शिविर में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए विशेष कंट्रोल बनाये गये हैं जहाँ सिडिलोग्राफी की व्यवस्था की गयी है। शिकायतकर्ता को बचत की सिडिलोग्राफी की आवेदी एवं उसके द्वारा दर्ज शिकायत की प्रतिलिपि भी उन्हें दी जायेगी।
- इंदिरा आवास योजना के लाभुक दलालों एवं सिविलियों से सावधान रहें।
- प्रथम किस्त के रूप में 30000/- (तीस हजार रुपये) एवं सिस्टम स्तर तक आवास पूर्ण करने पर द्वितीय किस्त की राशि 15000/- (पंद्रह हजार रुपये) एवं गवर्नर प्रभावित सात जिलों में 18500/- (अठ्ठारह हजार रुपये) की राशि के अन्तर्गत किया जाता है।
- लाभुक को आवास का निर्माण 6 माह के अन्दर पूर्ण करना है।
- निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नहीं करने पर लाभुक को विटाल्ड कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है।
- सम्पूर्ण व्यवस्था अभियान के तहत शासनालय का निर्माण करने की व्यवस्था है। इस सम्बंध में इंदिरा आवास के लाभार्थी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क करें।
- इंदिरा आवास के लाभार्थियों को उनके द्वारा धारित भूमि को विकसित करने का अनुरोध योजनावत्तम प्रावधान है।
- इंदिरा आवास योजना के वैसे लाभार्थी जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल है, लेकिन आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें दिसम्बर माह में विशेष अभियान पर्यावरण इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
- इंदिरा आवास के लाभार्थी अपने आवास के फास फलदार वृक्ष लगावें।
- इंदिरा आवास के आवंटन में किसी प्रकार की घटेराशी हो तो इलाकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग के टॉक फ्री सूत्रमाय संख्या 18091452144 पर दी जा सकती है।
- लाभुकों को बैंक से राशि की निकाली के लिए रोटर बनाया गया है तथा वरीय उप समाह्वयकों को बैंक में लेनाल किया गया है।



विदेक
प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार